an>

Title: Need to include Chattisgarhi language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अभिनन्दन करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया है जो छत्तीसगढ़ राज्य के ढाई करोड़ लोगों के सम्मान और पहचान का विषय है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के विषय में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं।

महोदया, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के साहित्यिक विकास के साथ-साथ संस्कृति के संरक्षण में भी छत्तीसगढ़ी भाषा ने अपना असाधारण योगदान दिया है। उसकी एक झलक, उसका एक उदाहरण 'रामचरित मानस' में भी छत्तीसगढ़ी शब्दों के कई उपयोग हमें देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएं, नाटक, निबंध, शोध ग्रंथ जैसे विविध साहित्य का एक विशाल भंडार है। सन् 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण आदरणीय श्री हीरा लाल काविपाध्याय द्वारा लिखा गया था। उसका अंग्रेजी अनुवाद देश की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक 'Asiatic Society of Bengal' में 1890 में प्रकाशित हुआ था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक राज्य की पहचान न केवल उसके आर्थिक और सामाजिक विकास से होती है, बल्कि राज्य की भाषा उसकी संस्कृति की आत्मा होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों की ओर से कि छत्तीसगढ़ी भाषा को देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके इस भाषा का सम्मान करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. बंशीलाल महतो, श्री लखन लाल साहू, श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री अभिषेक सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।